NO. 595/138/DDA/2023
दिनांक- 26/8/2023

दून विश्वविद्यालय, देहरादून

प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय

अपील संख्या : **5 6**

अपील अंतर्गत धारा 19(1) सू. का अधि. अधिनिय 2005

समक्ष : डॉ0 एम0एस0 मन्द्रवाल, प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

अपीलकर्ता : डॉ0 विजय श्रीधर, 201, फैकल्टी होम, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

बनाम

प्रतिवादी :
1. लोक सूचना अधिकारी/उप कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी/सहायक कुलसचिव (प्रशासन) दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. सहायक लोक सूचना अधिकारी/सहायक कुलसचिव (लेखा) दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

आदेश

डा0 विजय श्रीधर, 201, फैकल्टी होम, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, द्वारा अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़, केदारपुर, देहरादून को मेल के माध्यम से 16 जुलाई, 2023 रात्रि 12:04 को पत्र प्रेषित किया गया।

उक्त अपील को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील के रूप में स्वीकार करते हुये अपील संख्या 56 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त अपील पर सुनवायी हेतु 17 अगस्त, 2023 सांय 4:00 बजे की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुये उभयपक्षों को आदेश संख्या 541/138/DDA/DU/2023 दिनांक 8 अगस्त, 2023 के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनवायी हेतु उपस्थित होने के आदेश जारी किये गये, जिसको कि मेल के माध्यम से सभी पक्षों को प्रेषित किया गया

1. अपील की सुनवायी हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर अपीलार्थी तथा प्रतिवादी श्री नरेन्द्र लाल, लोक सूचना अधिकारी, श्री संजय कुमार घिल्डियाल, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित हुये।

2. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील, सूचना प्राप्त करने के मूल आवेदन पत्र दिनांक 16.05.2023, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (पत्र सं0 419 दिनांक 16.06.2023 संलग्नकों सहित), प्रथम अपील पत्र इमेल दिनांक 16 जुलाई, 2023, लोक सूचना अधिकारी, दून विश्वविद्यालय का लिखित अभिकथन पत्रांकः 459/DR/2023 दिनांक 16.08.2023 संलग्नकों सहित, सहायक लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 16.08.2023 तथा अपीलकर्ता एवं सभी प्रतिवादियों के मौखिक अभिकथनों को कार्रवाई हेतु पत्रावली का भाग बनाया गया।

3. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उन्हें सूचना जानबूझकर, अपूर्ण तथा भ्रामक सूचनायें प्रदान की गयी, सूचनायें बनायी गयी, दुर्भावनावश से सूचना देने से इन्कार किया गया, नियम विरूद्ध तरीके से सूचनायें बनायी गयी, मांगी गयी सूचनाओं को देने में बाधा डाली गयी तथा जो अभिलेख विश्वविद्यालय के भाग नही थे उन्हें उपलब्ध कराने के लिये अतिरिक्त शुल्क भुगतान हेतु कहा गया।

4. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील पत्र में यह उल्लेख नही किया गया कि उन्हें किन बिन्दुओं पर प्रदान की गयी सूचना पर उपरोक्त आपत्तियां हैं अथवा वे उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। उन्हें बिन्दुवार आपत्ति पत्र देने हेतु कहा गया लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया तथापि अपील के दौरान बिन्दुवार स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण सूचना आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा करते हुये अपील प्रकिया संचालित की गयी। जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:–

बिन्दु सं0 1 एवं बिन्दु सं0 2. पर अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

बिन्दु सं0 3.

अपीलार्थी : अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि यह सूचना उनके प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं करती है। जो सूचनायें दी गई हैं उनमें सूचना उनके अनुसार उजागर नहीं हो रही हैं। और उनसे उसका शुल्क लिया गया है।

प्रतिवादी 2 : सहायक कुलसचिव (प्रशासन), द्वारा अवगत कराया गया कि यह सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी। उनके रिकार्ड में इस प्रकार के उत्तर जो कि उनके प्रश्नों के अनुसार बने हों नहीं हैं। विनियम के जो पृष्ठ उन्हें उपलब्ध कराये गये हैं उनमें कैश प्रमोशन से सम्बन्धित प्रक्रियायें हैं।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : प्रतिवादी द्वारा अवगता कराया गया कि उनकी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उनको सूचना देने का प्रयास किया गया है। प्रतिवादी को सलाह दी जाती है कि भविष्य में उन्हीं दस्तावेजों को शुल्क के एवज में दें जो मांगी गई सूचना के अनुरूप हों। यदि सूचना नहीं हो तो सूचना नहीं है से अवगत करायें।

बिन्दु सं0 4. पर अपीलार्थी द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।

बिन्दु सं0 5.

अपीलार्थी : सूचना के रूप में नोट सीट नहीं दी गई है।

प्रतिवादी 2– सहायक कुलसचिव (प्रशासन), द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें सूचना दे दी गई है और इससे सम्बन्धित कोई नोट सीट नहीं है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी : प्रतिवादी द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई है। यद्यपि उनको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कैश पत्रावली अपीलार्थी को इस आदेश के निर्गत होने के एक सप्ताह तक दिखा दें।

5. विवेचना के उपरान्त यह पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के अभिलेखों में धारित सूचनायें उपलब्ध करायी गयी हैं। अन्य में बिन्दुवार आदेश दे दिये गये हैं।

6. विभागीय प्रथम अपील उपरोक्तानुसार विचार करते हुए, निस्तारित तथा निक्षेपित की जाती है।

7. आदेश की प्रति उभयपक्षों को ई–मेल या पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाये।

पत्रावली संचित की जाये।

आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित

दिनांक 17/08/2023

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़, केदारपुर,
पो0ओ0 अजबपुर, देहरादून
ईमेल registrar@doonuniversity.ac.in
फोन न0 0135-2533136/115

नोट : अपीलार्थी उक्त निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में प्रथम अपील के इस निर्णय के प्राप्ति तिथि से 90 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी वायपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में द्वितीय अपील कर सकते हैं।